प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर** थाना:– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2023**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 252/2023 दिनांक 19.9.2023

(1) अधिनियम **पी0सी0एक्ट** धारा :–**7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018)**

(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–

(3) अधिनियम .... धाराये :–..

(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3\. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 383 समय 3.10 PM

(ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **18.09.2023** समय **4.02 पी0एम0**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **14.09.2023** समय **11.23 ए0एम0**

4\. सूचना की किस्म :– **हस्तलिखित**

5\. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से बदिशा उत्तर करीबन 50 किलोमीटर**

(ब) पताः– बाड़मेर कम्प्यूटर एवं ई–मित्र सर्विसेज शिव जिला बाड़मेर

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6\. परिवादी / सूचनाकर्त्ता

(अ) नाम :– **श्री श्यामलाल**

(ब) पिता का नाम :– **श्री रुपाराम**

(स) जन्मतिथि / वर्ष :– **उम्र 33 वर्ष**

(द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**

(य) पाटपोर्ट संख्या :–........................ जारी होने की तिथी........................

(र) व्यवसाय :– **खेतीबाड़ी**

(ल) पता :– **निवासी गांव निम्बला तहसील षिव जिला बाड़मेर**

7\. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–

श्री उदाराम पुत्र श्री मगाराम उम्र 30 वर्ष पैषा नौकरी निवासी गांव फतेहनाड़ा, पोस्ट बलाई तहसील शिव जिला बाड़मेर हाल पटवारी पटवार मण्ड़ल बालासर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्ड़ल निम्बला तहसील शिव जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 7023106141, 9649726141

8\. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।

9\. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..

10\. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– **ट्रेप राशि 3000 रुपये**

11\. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..

12\. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट ....

सेवामें

श्रिमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

विषय – श्रि उदाराम पटवारी निम्बला के विरुद्व कानुनी कार्यवाही करवाने बाबत।

महोदय,

निवेदन मन श्रि श्यामलाल पुत्र श्रि रुपाराम उम्र 33 वर्ष जाति कुमावत निवासी निम्बला जिला बाड़मेर का इस प्रकार है कि मेरे पिता जी के नाम पटवार हल्का निम्बला तहसिल शिव जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 239 में भूमि आई हुई है, जिसमे मेरे पिताजी एव मेरे नाम से जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा भाड़खा से के.सी.सी करवाई हुई है मेरे बैंक की के.सी.सी में बैंक का नाम जयपुर थार ग्रामीण बैंक अंकित किया हुआ है उसकी जगह पर मैं राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक करवाने के लिए सम्बंधित दस्तावेजात लेकर दिनांक 12/09/2023 को श्रि उदाराम पटवारी, पटवारी मण्ड़ल निम्बला तहसील शिव जिला बाड़मेर से कस्बा षिव में अनसे मिला एंव मेरे द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत किये एंव कार्य करने बाबत निवेदन किया, जिस पर श्रि उदाराम पटवारी ने मुझे कहा कि मैं आपके कार्य में आवष्यक कागजी कार्यवाही कर आर साई के हस्ताक्षर करवाकर ऑनलाईन अपडेट करके आपका काम मैं कर दूंगा, लेकीन आपको मुझे 3000रुपये खर्चे पाणी के देने होन्गे, उन्होने मुझे यह भी कहा कि मैने आपके पहले वाले दो म्युटेशन भी दर्ज कर दिये थे एंव आपसे कुश नहीं लिया था, अब कुश खर्चा–पाणी करणा पडेंगा, जिस पर मैने उन्हें मेरा कार्य करणे हेतु निवेदन किया एंव बाद में मिलने बाबत कहा है श्रि उदाराम पटवारी बिना रिश्वत लिए मेरा काम नहीं करेन्गे। मैं पटवारी को रिशवत नहीं देकर रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हुँ। मेरी पटवारी से कोई दुशमनी नही है न ही कोई पुराणा लेन–देन है। मैं कानुनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ।

–एसडी/– श्यामलाल

दिनांक 14.09.2023

भवदीय,

(श्री श्यामलाल पुत्र श्री रुपाराम)
निवासी निम्बला जिला बाड़मेर
मोबाईल नम्बर 7976488869

एसडी/– संग्रामसिंह भाटी
DSP 15/9/23

एसडी/– प्रेम रतन सुथा
15/9/23

एसडी/– हरीष
15/9/23

कार्यवाही पुलिस दिनांक 14.09.2023 वक्त 11.30 ए0एम0
केम्प एसीबी कोर्ट जोधपुर

इस समय मन् उप अधीक्षक पुलिस आवश्यक राजकार्य हेतु एसीबी कोर्ट नम्बर 01, जोधपुर के परिसर में उपस्थित था। उस समय मोबाईल नम्बर 7976488869 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर समय करीबन 11.23 ए0एम0 पर कॉल आया एवं कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं का परिचय श्री श्यामलाल पुत्र श्री रुपाराम उम्र 33 वर्ष जाति कुमावत निवासी निम्बला जिला बाड़मेर होना बताया एवं बताया कि वह श्री उदाराम पटवारी पटवार मण्ड़ल निम्बला द्वारा उसके पैण्डिंग कार्य को करने की एवज में रिश्वत की मांग करने पर उसके विरुद्व कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र लेकर एसीबी चौकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ है, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री श्यामलाल को अवगत करवाया कि मैं राजकार्य से मुख्यालय से बाहर हूँ, आप चौकी में मन् उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर मुझे आपकी शिकायत के विस्तृत हालात बताये, जिस पर श्री श्यामलाल ने बताया कि मेरे बैंक की केसीसी में बैंक का नाम जयपुर थार ग्रामीण बैंक की जगह पर राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक करवाने के लिए दिनांक 12.09.2023 को कस्बा शिव में मिला एवं मेरे द्वारा उनको दस्तावेजात प्रस्तुत किये एवं कार्य करने बाबत निवेदन किया, जिस पर उन्होने मुझे कहा कि आपका काम मैं कर दूंगा लेकिन आपको मुझे 3000रुपये खर्चे पानी के देने

होंगे एवं यह भी बोला की मैने आपके पहले के द म्यूटेशन दर्ज करने के लिए भी मैने आपसे उस समय कुछ नहीं लिया था। मैं पटवारी को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी पटवारी से कोई दुश्मनी नहीं है न ही कोई पुराना लेन–देन बकाया है। मैं कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। परिवादी द्वारा बताये हालात से रिश्वत राशि मांग का मामला पाये जाने पर प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री श्यामलाल से कहा कि आप जो प्रार्थना पत्र लेकर आए है वह एक लिफाफे में बंद कर ब्यूरो चौकी बाड़मेर में श्री अनूपसिंह हैड़ कानि0 को सुपूर्द करे एवं कार्यालय में उपस्थित रहे। मैं ब्यूरो कार्मिको को अग्रिम कार्यवाही बाबत निर्देशित कर रहा हूँ, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये वाट्सअप कॉल श्री अनूपसिंह हैड़ कानि0 को निर्देशित किया कि श्री श्यामलाल नामक व्यक्ति कोई गोपनीय कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित हुआ है, आप श्री श्यामलाल से बंद लिफाफे में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर श्री बांकाराम कानि0 का परिवादी से परिचय करवाकर डिजिटल टेप रिकार्डर संचालन की विधि की समझाईश कर गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के बताये स्थान पर भेजे एवं बाद सत्यापन श्री बांकाराम कानि0 एवं परिवादी श्री श्यामलाल को सत्यापन हालात मोबाईल से अवगत करवाने बाबत निर्देशित करे। ताबाद श्री बांकाराम कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया कि श्रीमान् के निर्देशानुसार ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर कार्यालय कक्ष में परिवादी श्री श्यामलाल को डिजिटल टेप रिकार्डर की संचालन की विधि की समझाईश कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी की कार से उसके कहे अनुसार शिव को रवाना हुआ हूँ, जिस मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री बांकाराम कानि0 को निर्देशित किया कि परिवादी श्री श्यामलाल के साथ जाकर डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर सत्यापन हालात मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाये एवं परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत करे।

तत्पश्चात दिनांक 14.09.2023 को समय 7.50 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ। श्री अनूपसिंह हैड़ कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री श्यामलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया, जिसे खोला जाकर उसका अवलोकन किया। परिवादी श्री श्यामलाल द्वारा पूर्व में ब्यूरो चौकी बाड़मेर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं के कब्जे में लिया एवं श्री बांकाराम कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल टेप रिकार्डर प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि निर्देशानुसार परिवादी श्री श्यामलाल के साथ रवाना होकर पुरानी तहसील शिव के पास पहुच परिवादी श्री श्यामलाल को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर ऑन कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को रिकार्ड करने हेतु पुरानी तहसील शिव के लिए रवाना किया एवं मन् कानि0 गोपनीयता बरतते हुए मुख्य सड़क पर बाहर ही खड़ा रहा। कुछ समय बाद परिवादी पुनः मेरे पास उपस्थित आया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मन् कानि0 को प्रस्तुत किया, जिसे मेरे द्वारा स्वीच ऑफ कर कब्जे में लिया एवं परिवादी श्री श्यामलाल ने अवगत करवाया कि श्री उदाराम पटवारी मुझे पुरानी तहसील शिव में उनके कक्ष में उपस्थित मिले, जिनके पास कुछ अन्य लोग भी अपने कार्य के लिए आए हुए थे, जिन्हें मैं नहीं पहचानता उसने वार्ता करने के बाद मेरे द्वारा मेरे कार्य के सम्बंध में वार्ता की तो श्री उदाराम पटवारी ने कहा कि आप मेरे पास जो कागज लेकर आए थे, उस पर आर0आई0 के साईन करवाकर साहब के हस्ताक्षर करवा दूंगा और अपडेट कर दूंगा, जिस पर मैने कहा कि कितना क्या करना है, जिस पर पटवारी ने कहा आपकी जो इच्छा, उसने बाद में बोला तीन कर देना, जिस पर मैने कहा तीन हजार, जिस पर पटवारी ने कहा हॉ, जिस पर मैने कहा अभी तो मैं नहीं लाया हूँ, जिस पर पटवारी ने कहा कि कल दे देना इत्यादि वार्ता हुई है जो मेरे द्वारा टेप रिकार्डर में रिकार्ड की है। उक्त वार्ता पश्चात मेरे द्वारा श्रीमान् को जरिये मोबाईल 2.03 पी0एम0 पर सत्यापन हालात अवगत करवाये थे एवं परिवादी श्री श्यामलाल की भी आपसे वार्ता करवाई थी, जिस पर उसने भी उक्त हालात बताये थे, जिस पर आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री श्यामलाल को कल दिनांक 15.09.2023 को श्री उदाराम पटवारी द्वारा रिश्वत में मांगी गई राशि 3000रुपये लेकर एसीबी चौकी बाड़मेर में प्रातः 8.00ए0एम0 पर उपस्थित होने बाबत पाबंध कर उक्त कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत के डिजिटल टेप रिकार्डर के रवाना होकर चौकी पर उपस्थित हुआ था। श्री बांकाराम कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यो एवं पूर्व में जरिये मोबाईल कानि0 एवं परिवादी श्री श्यामलाल से हुई वार्ता के क्रम में डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुनने पर श्री बांकाराम कानि0 द्वारा बताये तथ्यो की ताईद हुई एवं परिवादी श्री श्यामलाल के केसीसी में बैंक का नाम परिवर्तन करने की एवज में श्री उदाराम पटवारी पटवार मण्ड़ल द्वारा 3000रुपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्ठि हुई। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं के कब्जे में रखा एवं आईन्दा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स मूर्तिब करने का निर्णय लिया एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस

ने परिवादी श्री श्यामलाल को जरिये मोबाईल दो बार कॉल किया, किन्तु परिवादी ने मोबाईल रिसिव नहीं किया एवं समय 8.25 पी0एम0 पर परिवादी का कॉल आया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को प्रातः प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री उदाराम पटवारी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 3000रुपये लेकर प्रातः 9.30 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित होने हेतु पाबंध किया एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत हुई एवं दिनांक 15.09.2023 को ब्यूरो की प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही होने से ब्यूरो जाब्ता को प्रातः 9.30 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने हेतु पाबंध किया एवं ब्यूरो चौकी में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मालखाना आईट्म के रुप में ब्यूरो चौकी पर 2000रुपये के नोटो के पंचनामा तैयार करने हेतु पूर्व से पाबंध सुदा गवाहान श्री हरीश खिंची कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं श्री प्रेमरतन सुथार कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप निदेशक, कृषि विस्तार बाड़मेर को जरिये मोबाईल तलब कर दिनांक 15.09.2023 को प्रातः ब्यूरो चौकी की ट्रेप कार्यवाही में शरीक होने हेतु पाबंध किया।

तत्पश्चात दिनांक 15.09.2023 को प्रातः 9.30 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी का जाब्ता कार्यालय हाजा में उपस्थित था एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरीश खिंची कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं श्री प्रेमरतन सुथार कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप निदेशक, कृषि विस्तार बाड़मेर भी पूर्व में ब्यूरो चौकी पर 2000रुपये के पंचनामा से सम्बंधित प्रकरणो की कार्यवाही बाबत उपस्थित है एवं परिवादी श्री श्यामलाल भी पूर्व पाबंध सुदा उपस्थित हुआ, किन्तु ब्यूरो चौकी के माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 2000रुपये के नोट के बदलवाने बाबत पंचनामा तैयार करने में समय लगने को देखते हुए परिवादी श्री श्यामलाल को अन्य कक्ष में बैठने हेतु निर्देषित किया एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान के ब्यूरो चौकी बाड़मेर के 2000रुपये के पंचनामा फर्दात मूर्तिब करने में व्यस्त हुआ। ताबाद ब्यूरो चौकी का जाब्ता कार्यालय हाजा में उपस्थित है एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरीश खिंची कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं श्री प्रेमरतन सुथा कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप निदेषक, कृषि विस्तार बाड़मेर भी पूर्व में ब्यूरो चौकी पर 2000रुपये के पंचनामा से सम्बंधित प्रकरणो की कार्यवाही बाबत उपस्थित है। परिवादी श्री श्यामलाल भी उपस्थित कार्यालय कक्ष में उपस्थित है, जिस पर रुबरु गवाहान परिवादी श्री श्यामलाल को मन् उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में तलब करने पर परिवादी ने बताया कि श्री उदाराम पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3000रुपये लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिस पर परिवादी श्री श्यामलाल पुत्र श्री रुपाराम उम्र 33 वर्ष जाति कुमावत निवासी निम्बला जिला बाड़मेर का दोनो स्वतंत्र गवाहान से बारी–बारी परिचय श्री हरीश खिंची पुत्र श्री रमेशचन्द्र उम्र 25 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव पीपाड़ तहसील पीपाड़ जिला जोधुपर हाल कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि(विस्तार) जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9024876625 एवं श्री प्रेम रतन सुथार पुत्र श्री जवारलाल उम्र 34 वर्ष पैशा नौकरी निवासी बीढाणियों की ढाणी, शौभाला जेतमाल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेषक कृषि(विस्तार) जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9252579069 के रुप में करवाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं की अलमारी में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो पूर्व में बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया था एवं डिजिटल टेप रिकार्डर को निकलवाकर उक्त प्रार्थना पत्र मय संलग्न को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के रुबरु खोलकर पढ़कर सुनाया गया, जिसमें परिवादी ने अंकित किया कि " मेरे पिताजी के नाम पटवार हल्का निम्बला तहसील शिव जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 239 में भूमि आई हुई है, जिसमें मेरे पिताजी एवं मेरे नाम से जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा भाड़खा से केसीसी करवाई हुई है। मेरे बैंक की केसीसी में बैंक का नाम जयपुर थार ग्रामीण बैंक अंकित किया हुआ है, उसकी जगह पर मैं राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक करवाने के लिए सम्बंधित दस्तावेजात लेकर दिनांक 12.09.2023 को श्री उदाराम पटवारी पटवारी मण्डल निम्बला तहसील शिव जिला बाड़मेर से कस्बा शिव में उनसे मिला एवं मेरे द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन का दस्तावेजात प्रस्तुत किये एवं कार्य करने बाबत निवेदन किया, जिस पर श्री उदाराम पटवारी ने मुझे कहा कि मैं आपके कार्य में आवश्यक कागजी कार्यवाही कर आर0आई0 के हस्ताक्षर करवाकर ऑनलाईन आपडेट करके आपका काम मैं कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे 3000रुपये खर्चे पानी के देने होंगे, उन्होने मुझे यह भी कहा कि मैने आपके पहले वाले दो म्यूटेशन भी दर्ज कर दिये थे एवं आपसे कुछ नहीं लिया था, अब कुछ खर्चा–पानी करना पडेंगा, जिस पर मैने उन्हें मेरा कार्य करने हेतु निवेदन किया एवं बाद में मिलने बाबत कहा है। श्री उदाराम पटवारी बिना रिश्वत लिए मेरा काम नहीं करेंगे। मैं पटवारी को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी पटवारी से कोई दुश्मनी नहीं है न ही कोई पुराना लेन–देन बकाया है। मैं कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ"। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को भी दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के रुबरु सुनाया गया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। परिवादी की रिपोर्ट एंव वार्तालाप को सुनने के

पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति दी। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने भी प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये। ताबाद ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री श्यामलाल एवं श्री उदाराम पटवारी पटवार मण्डल निम्बला तहसील षिव जिला बाड़मेर के मध्य दिनांक 14.09.2023 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से उक्त वार्तालाप को 32जीबी के एक मेमोरी कार्ड में एवं दो सी0डी0 में श्री लालाराम कानि0 से [illegible] करवाया जाकर मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेले पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक सीडी अनुसंधान अधिकारी एवं एक मुलजिम सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री उदाराम पटवारी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री श्यामलाल द्वारा की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की कपड़े की थैली एवं दोनो सी0डी0 को श्री ठाकराराम कानि0 को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

तत्पश्चात उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू मन् संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बाड़मेर को परिवादी श्री श्यामलाल से आरोपी श्री उदाराम पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली रिष्वती राशि 3000/- रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी ने 500-500 रूपये के 05 नोट एवं एक-एक सौ रुपये के 05 नोट कुल 3000 रू. निकाल कर पेश किये। नोटों के नम्बर फर्द पर अंकित किये जाकर ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर के मालखाना प्रभारी श्री ठाकराराम कानि0 145 द्वारा मालखाना से साथ लाई गई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया गया। तत्पश्चात एक अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटो को उस पर रखकर नोटो के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर कार्यालय हाजा के श्री रघुवीरसिंह कानि0 143 से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री हरीश खिंची से लिवाई जाकर उनके बदन पर पहने हुए कपडों एवं उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई राशि या आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी को अपना मोबाईल अपने पास ही रखने की ईजाजत दी गई। इसके पश्चात श्री रघुवीरसिंह कानि0 143 द्वारा सीधे ही फिनोफथलीन पाउडरयुक्त राशि 3000/- रू. के उक्त नोट परिवादी के पहने हुई पेन्ट के नीचे की बांयी जेब में रखवाई गई व परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इस नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुए तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही यह रिश्वती राशि जेब से निकाल कर आरोपी को देवें, रिश्वती राशि देने के पश्चात उक्त रिश्वती राशि को आरोपी द्वारा रखने के स्थान का ध्यान रखें, तथा रिश्वत की राशि देने के पश्चात अवसर पाकर अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल अथवा ब्यूरो स्टाफ के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके या अपने सिर पर हाथ फैर कर आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने का इशारा करें। परिवादी को हिदायत की गई कि वह रिश्वती राशि देने के पूर्व व पश्चात् आरोपी से अपना हाथ भी नहीं मिलावें। तत्पश्चात् दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट का दृष्टान्त देने के लिये कार्यालय से ही पानी की बोतल मंगवाई जाकर साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार कर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन/अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री रघुवीरसिंह कानि0 143 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबा कर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस बाबत परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को छुएगा, तो उसके हाथों को पानी व सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलाने पर घोल का रंग इसी तरह गुलाबी हो जायेगा। इस दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के गुलाबी घोल को नष्ट करवाया गया, अखबार जिन पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टान्त के समय उपयोग में लिये गये साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास तथा अखबार को भी श्री रघुवीरसिंह कानि0 143 से ही जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री रघुवीरसिंह कानि0 143 के हाथ, चम्मच इत्यादी को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, ट्रेप उपयोग की सामग्री कीप, पव्वे, चम्मच आदि को पुनः साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को छोडकर ट्रेप दल के समस्त सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर ब्यूरो स्टाफ के पास परिचय पत्र, मोबाईल फोन के अलावा कोई भी राशि या आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास निजी खर्चे हेतु 2000 रू. रखे। ट्रेप दल के सदस्यों को आरोपी द्वारा रिश्वत लिये जाने के पश्चात सूचना देने हेतु परिवादी द्वारा किया जाने वाला पुर्व मुकर्रर इशारा बताया जाकर हिदायत दी गई कि वे सभी परिवादी के इशारे का ध्यान रखे, यथा सम्भव रिश्वती राशि के लेनदेन को भी देखने अथवा वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। ट्रेप दल के समस्त सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती राशि लेनदेन के समय परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये परिवादी को डिजीटल

रिकॉर्डर देकर हिदायत दी कि वह रिश्वती लेनदेन के वक्त की वार्ता को रिकॉर्ड करने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री रघुवीरसिंह कानि0 143 को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया गया। ताबाद अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल ब्यूरो चौकी से रवाना होने ही वाला था कि परिवादी श्री श्यामलाल ने बताया कि मैंने अपने सूत्रो से ज्ञात किया है कि श्री उदाराम पटवारी आज अपने कार्यालय में नहीं आया है एवं मुझे भी आवष्यक घरेलू कार्य एवं बाबा रामदेव जी के मन्दिर पर दर्षन करने हेतु जाना आवष्यक है एवं दिनांक 16.09.2023 व 17.09.2023 को शनिवार एवं रविवार का अवकाष होने से श्री उदाराम पटवारी अपने कार्यालय में नहीं आयेगा। परिवादी श्री श्यामलाल द्वारा बताये तथ्यो से अग्रिम कार्यवाही अब आज होने की सम्भावना नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही को दिनांक 18.09.2023 को करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री श्यालाल के पहने हुई पेन्ट के नीचे की बांयी जेब में पूर्व में रुबरु स्वतंत्र गवाहान रखवाई गई रिश्वती राशि को पुनः श्री रघुवीरसिंह कानि0 से निकलवाई जाकर एक लिफाफे में डलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाई जाकर श्री रघुवीरसिंह कानि0 के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाए गये एवं परिवादी श्री श्यामलाल को दिनांक 18.09.2023 को श्री उदाराम पटवारी की उपस्थिति ज्ञात कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18.09.2023 को दूसरे पेन्ट–शर्ट पहनकर कस्बा शिव में उपस्थित मिलने बाबत पाबंध किया गया एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी अग्रिम कार्यवाही दिनांक 18.09.2023 को प्रस्तावित होने से अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरीश खिंची एवं श्री प्रेम रतन सुथार को दिनांक 18.09.2023 को मुख्यालय पर उपस्थित रहने एवं जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर तुरन्त उपस्थित होने बाबत पाबंध कर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को रुखस्त दी। मन् उप अधीक्षक पुलिसम मय ब्यूरो जाब्ता भी अन्य राजकार्य में व्यस्त हुआ।

तत्पष्चात दिनांक 18.09.2023 को समय 9.00 ए0एम0 पर पूर्व पाबंध सुदा स्वतंत्र गवाह श्री हरीश खिंची एवं श्री प्रेम रतन सुथार चौकी हाजा में उपस्थित हुए। परिवादी श्री श्यामलाल ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि श्री उदाराम पटवारी अभी तक कस्बा शिव में उपस्थित नहीं हुआ है एवं उसके उपस्थित होते ही मैं आपको अवगत करवा दूंगा। आरोपी श्री उदाराम पटवारी के कस्बा शिव में अभी तक उपस्थित नहीं होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के कार्यालय में उपस्थित रहकर आरोपी श्री उदाराम पटवारी के कस्बा शिव में उपस्थित होने पर परिवादी द्वारा सूचित करने के इन्तजार में अन्य राजकार्य में व्यस्त हुआ। समय 2.26 पी0एम0 पर परिवादी श्री श्यामलाल ने जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि श्री उदाराम पटवारी पुरानी तहसील शिव में अपने कक्ष में उपस्थित है एवं वह आज मेरे से रिश्वत की राशि प्राप्त कर लेगा, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को अवगत करवाया कि आप कस्बा शिव से कुछ दूरी पहले हमे बाड़मेर की तरफ हाईवे पर होटल उदय पैलेस के पास उपस्थित मिले, हम ट्रेप दल के उक्त स्थान पर आपको मिलेंगे। ब्यूरो चौकी जैसलमेर के जाब्ता को भी ट्रेप कार्यवाही में ईमदाद हेतु कस्बा शिव पहुचने बाबत निर्देश प्रदान किये जाकर मन् संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी से हुई टेलीफोनिक वार्ता अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री हरीश खिंची एवं श्री प्रेम रतन सुथार ब्यूरो जाब्ता श्री अनूपसिंह हैड़ कानि0, श्री सुराबखां हैड़ कानि0, श्री ठाकरांराम कानि0, श्री लालाराम कानि0, श्री बांकाराम कानि0, मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर से परिवादी के बताये अनुसार शिव से पहले होटल उदय पैलेस के पास पहुचने हेतु रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप दल के उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा कस्बा शिव से पहले उदय पैलेस के पास पहुचा, जहॉ परिवादी श्री श्यामलाल पूर्व से पाबंध सुदा उपस्थित मिला, जिस पर परिवादी श्री श्यामलाल की स्वतंत्र गवाह श्री प्रेम रतन सुथार से जामा तलाशी लिरवाई जाकर अन्य कोई राशि या वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी ने बताया कि पटवारी ने मेरे बैंक का नाम अपडेट कर ऑनलाईन साईट पर अपलोड कर दी है, किन्तु उक्त दस्तोवजात को प्रमाणित करवाया जाना आवश्यक है, इसलिए मैं उक्त जमाबंदी की नकल निकलवाकर लाया हूँ, जो मैं रिश्वती राशि लेन–देन के समय साथ ले जाकर प्रमाणित करवाउंगा, जिस पर उक्त दस्तोवजात परिवादी के पास रहने दिये गये एवं ट्रेप बाक्स में पूर्व में लिफाफे में रखवाई गई रिश्वती राशि को श्री लालाराम कानि0 से बाहर निकलवाई जाकर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाई गई एवं हिदायत हुई की रिश्वती राशि आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसे देवे एवं उसके पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावें। श्री लालाराम कानि0 के हाथ बोतल में साथ लाए साफ पानी एवं साथ लाए साबुन से धुलवाए जाकर श्री लालाराम कानि0 को ट्रेप कार्यवाही होने पर हाथ धोवन की कार्यवाही तक पृथक रहने की हिदायत कर ट्रेप दल में शामिल

किया गया एवं श्री बांकाराम कानि0 को परिवादी के साथ वाहन में बैठाया जाकर डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री बांकाराम कानि0 को सुपूर्द कर निर्देशित हुई की उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर परिवादी को सुपूर्द कर रिश्वती राशि लेन–देन हेतु भेजे। परिवादी ने बताया कि मैने अपने सूत्रो से ज्ञात किया है कि श्री उदाराम पटवारी हाईवे पर स्थित बाड़मेर कम्प्यूटर व ई–मित्र पर बैठा है, जो वहाँ पर मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा, जिस पर परिवादी श्री श्यामलाल एवं श्री बांकाराम कानि0 को परिवादी के वाहन से रवाना किया एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के उक्त वाहन के पीछे–पीछे रवाना हुआ। कुछ समय पश्चात श्री बांकाराम कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी को रिश्वती राशि लेन–देन हेतु बाड़मेर कम्प्यूटर एवं ई–मित्र की दुकान की तरफ रवाना किया है एवं मैं वही सामने उपस्थित हूँ।

तत्पश्चात मौतबिरान के रूबरू समय करीबन 4.02 पी0एम पर श्री बांकाराम कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सअप कॉल कर बताया कि परिवादी श्री श्यामलाल ने रिश्वती राशि लेन–देन होने बाबत अपने सिर पर हाथ फैर गोपनीय ईशारा कर दिया है एवं रिश्वती राशि लेन–देन को मेरे द्वारा भी देखा है। परिवादी बाड़मेर कम्प्यूटर एवं ई–मित्र सर्विस शिव में बैठा है एवं उक्त कम्प्यूटर की दुकान पर दो व्यक्ति बैठे हुए है, जिस पर रिश्वती राशि लेन–देन का गोपनीय ईशारा होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री अनूपसिंह हैड़ कानि0 श्री सुराबखां हैड़ कानि0, श्री ठाकराराम कानि0 के बाड़मेर–शिव हाईवे पर मुख्य सड़क पर बायीं तरफ एक कम्प्यूटर की दुकान के बाहर पहुचा, जहाँ पर परिवादी श्री श्यामलाल उक्त कम्प्यूटर की दुकान पर उपस्थित मिला, जिस पर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर कब्जे में लिया। ब्यूरो चौकी जैसलमेर के स्टाफ को भी उक्त स्थान पर पहुचने बाबत सूचित किया। परिवादी श्री श्यामलाल ने बताया कि उक्त कम्प्यूटर की दुकान पर कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति के पास मे बैठा व्यक्ति ही श्री उदाराम पटवारी निम्बला है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से 3000रुपये रिश्वत लेकर अपने पहने हुए शर्ट की उपरी बायीं जेब में रखे है, जिस पर उक्त कम्प्यूटर की दुकान पर कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति के पास बैठे व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं एवं ट्रेप दल एवं स्वतंत्र गवाह का परिचय देकर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री उदाराम पुत्र श्री मगाराम उम्र 30 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव फतेहनाड़ा, ग्राम पंचायत बलाई तहसील शिव जिला बाड़मेर हाल पटवारी पटवार मण्ड़ल बालासर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्ड़ल निम्बला तहसील शिव जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 7023106141, 9649726141 होना बताया एवं पास ही कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति को उसका परिचय पूछने पर उसने स्वयं का नाम भारथाराम होना एवं बाड़मेर कम्प्यूटर एवं ई–सर्विसेज शिव पर कम्प्यूटर का कार्य करना बताया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने रुबरु गवाह परिवादी श्री श्यामलाल की तरफ ईशारा कर कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति के पास बैठे श्री उदाराम पटवारी को पूछा की आप इनको पहचानते है एवं अभी उन्हौने किसी प्रकार की राशि परिवादी श्री श्यामलाल से प्राप्त की है, तो उसने कहा कि हॉ मै इनको जानता हूँ, इनका नाम श्यामलाल है जो निम्बला का रहने वाला है एवं यह अभी मेरे पास जमाबंदी व नक्शे की नकल लेने हेतु मेरे पास आया था एवं इसने मेरे जेब में जबरदस्ती पैसे रख दिये है। मैने इनसे किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं ली है, इन्हौने अपने आप मुझे अपनी इच्छा से पैसे दिये है। मेरी गलती हो गई, मेरे छोटे बच्चे है, जिस पर परिवादी श्री श्यामलाल ने स्वैच्छा से बताया कि श्री उदाराम पटवारी झूठ बोल रहे है, इन्हौने मेरे पूर्व में दो म्यूटेशन दर्ज किये थे एवं मेरे बैंक की केसीसी में बैंक का नाम जयपुर थार ग्रामीण बैंक अंकित किया हुआ होने से उसकी जगह पर मैं राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक करवाने के लिए सम्बंधित दस्तावेजात लेकर दिनांक 12.09.2023 को श्री उदाराम पटवारी से कस्बा शिव में उनसे मिला एवं मेरे द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत किये एवं कार्य करने बाबत निवेदन किया, जिस पर श्री उदाराम पटवारी ने मुझे कहा कि मैं आपके कार्य में आवष्यक कागजी कार्यवाही कर आर0आई0 के हस्ताक्षर करवाकर ऑनलाईन अपडेट करके आपका काम मैं कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे 3000रुपये खर्चे पानी के देने होंगे, उन्हौने मुझे यह भी कहा कि मैने आपके पहले वाले दो म्यूटेशन भी दर्ज कर दिये थे एवं आपसे कुछ नहीं लिया था, अब कुछ खर्चा–पानी करना पडेंगा, जिस पर मेरे द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत आपके कार्यालय में करने पर दिनांक 14.09.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान मेरे से श्री उदाराम पटवारी ने 3000रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर आज मेरे द्वारा इनको रिश्वत राशि 3000रुपये इनके मांगे अनुसार दिये, जो इन्हौने अपने शर्ट की उपरी बायीं जेब में रख दी, इन्हौने मेरे से रिश्वत राशि मांग कर अपनी जेब में रखी है, मैने कोई जबरदस्ती नहीं दी है, जिस पर रुबरु गवाहान पुनः आरोपी श्री उदाराम पटवारी से पूछने पर उन्हौने कहा कि मेरी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो, मेरी बहुत छोटी नौकरी ही हुई है। उक्त कम्प्यूटर दुकान में कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति को परिवादी एवं श्री उदाराम पटवारी के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन–देन का

पूछने पर उसने कहा कि मैं श्री श्यामलाल को नही जानता हूँ, यह मेरे कम्प्यूटर की दुकान पर आए तब श्री उदाराम पटवारी मेरे पास अपने विभागीय कार्य कम्प्यूटर पर करवाने आए हुए थे, उस समय श्री श्यामलाल ने श्री उदाराम के पास आकर वार्ता की एवं कुछ रुपये श्री उदाराम को दिये, जिसे श्री उदाराम ने अपने शर्ट की जेब में रख दिये, मैं उस समय किसी अन्य व्यक्ति से मोबाईल पर वार्ता कर रहा था, रुपये श्री श्यामलाल ने जबरदस्ती नहीं दिये थे। इनकी आपस में कोई जोर–जबदरदस्ती नहीं हुई थी। तत्पश्चात उक्त कम्प्यूटर की दुकान में ही आरोपी श्री उदाराम पटवारी की हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए पारदर्शी प्लास्टिक की दो साफ गिलासों में उक्त कम्प्यूटर की दुकान से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो गिलासो में आधा–आधा साफ पानी भरकर दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री उदाराम पटवारी के दांहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झाईनुमा हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने झाईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में ३ ध -आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में श्री उदाराम पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झाईनुमा हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने झाईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा– आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच–1 व एल.एच–2 अंकित किया गया। आरोपी श्री उदाराम पटवारी द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ से लेकर अपने पहनी हुई सफेद रंग के शर्ट की उपरी बायीं जेब में रखी, जिस पर ट्रेप दल में स्वतंत्र गवाह श्री हरीश खिंची से आरोपी श्री उदाराम पटवारी की जामा तलाशी लिरवाई गई तो उसके पहने हुई शर्ट की उपरी बायीं जेब में नोटो का एक बण्डल मिला, जिसे स्वतंत्र गवाह श्री प्रेम रतन सुथार से गिनवाये गये थे, पॉच–पॉच सौ के पॉच नोट एवं एक–एक सौ रुपये के पॉच नोट कुल 3000रुपये होना पाये गये, जिस पर उक्त नोटो का मिलान पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी से करवाने पर हुबहु नोट निम्नानुसार होना बताया :–

क.सं.	नोट का विवरण	नोट का नंबर
1.	500/– रूपये का नोट नंबर	1UM 074159
2.	500/– रूपये का नोट नंबर	3UE 511417
3.	500/– रूपये का नोट नंबर	5GU 146936
4.	500/– रूपये का नोट नंबर	2PK 261380
5.	500/– रूपये का नोट नंबर	1RQ 051757
6.	100/– रुपये का नोट नम्बर	8BU 455665
7.	100/– रुपये का नोट नम्बर	4BG 302433
8.	100/– रुपये का नोट नम्बर	2DW 967987
9.	100/– रुपये का नोट नम्बर	2HU 251068
10.	100/– रुपये का नोट नम्बर	7DS 923933

उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एक कपड़े में सिल चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। श्री उदाराम पटवारी की जामा तलाशी में उसके पहने हुए कपड़ों के अलावा उसके पास एक नीले रंग का ओपो कम्पनी का मोबाईल होना पाया गया। आरोपी द्वारा उक्त मोबाईल फोन में मोबाईल सीम नम्बर 7023106141, 9649726141 होना बताया, जिसके सम्बंध में आरोपी से पूछने पर उक्त मोबाईल स्वयं का होना बताया। उक्त मोबाईल स्वीच ऑफ कर आरोपी को पुनः लोटाया गया। ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप को सुना गया तो आरोपी व परिवादी के मध्य लेन–देन वार्तालाप होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात रिश्वती राशि आरोपी के पहने हुए शर्ट की उपरी बायीं जेब से बरामद होने पर उसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से पारदर्शी प्लास्टिक की एक अन्य साफ गिलास में उक्त कम्प्यूटर की दुकान से ही पानी मंगवाया जाकर उक्त पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी श्री उदाराम पटवारी के पहनने हेतु उक्त कम्प्यूटर दुकान में श्री भारथाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर से दूसरे शर्ट की व्यवस्था करने का कहने पर उसने अपनी दुकान से टी–शर्ट की व्यवस्था की, जिस पर आरोपी श्री उदाराम पटवारी के पहने हुए शर्ट को खुलवाकर उक्त टी–शर्ट को पहनाया जाकर उक्त खुलवाई गई शर्ट की उपर की बायीं जेब को उल्ट कर उक्त गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर निचोड़ कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् की तरह कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर कर

सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एस–1 व एस–2 अंकित किया गया एवं उक्त शर्ट को सुखाकर शर्ट की उपर की बायीं जेब पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में डालकर उसको सील चीट कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर क़ब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री उदाराम पटवारी को श्री श्यामलाल के केसीसी में बैंक का नाम जयपुर थार ग्रामीण बैंक की जगह राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक करवाने के लिए दिनांक 14.9.2023 को दिये गये दस्तावेजात के सम्बंध में पूछने पर उन्हौने बताया कि मैने दिनांक 16.09.2023 को उक्त दस्तावेजात में बैंक का नाम दुरस्त कर उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाकर मेरी आईडी से ई–भारत साईट पर अपडेट कर दी है, मेरे पास इनका कोई कार्य पैण्डिंग नहीं है, जिस पर परिवादी ने बताय कि श्री उदाराम पटवारी द्वारा उक्त दस्तावेजात अपलोड तो कर दिये है, किन्तु जब उक्त दस्तावेजात पर वह अपने पदनाम की सील मोहर लगाकर हस्ताक्षर कर प्रमाणित प्रति मुझे सुपूर्द नहीं करते तब तक उक्त दस्तोवजात को बैंक नहीं मानता है। बैंक में प्रमाणित प्रति ही स्वीकार होती है। धोवन की कार्यवाही मे उपयोग की गई समस्त पारदर्शी प्लास्टिक की गिलासो को जला कर नष्ट करवाया गया। रिश्वती राशि लेन–देन का उक्त स्थान मुख्य हाईवे होने एवं आस–पास भीड़ भाड़ होने से दस्तयाब सुदा आरोपी श्री उदाराम पटवारी को साथ लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप दल के ब्यूरो चौकी बाड़मेर, ब्यूरो चौकी जैसलमेर एवं परिवादी के वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना शिव में पहुचे, जहॉ श्री चुन्नीलाल विश्नोई थानाधिकारी पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित मिले, जिनसें ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही के सम्बंध में अनुमति चाहने पर उनके द्वारा अनुमति प्रदान करने पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन की फर्द की प्रिन्ट पुलिस थाना शिव में लेपटॉप से मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद ट्रेप कार्यावाही विरुद्व श्री उदाराम पटवारी पटवार मण्ड़ल बालासर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्ड़ल निम्बला तहसील शिव जिला बाड़मेर में नक्शा मौका घटनास्थल/रिश्वती राशि बरामदगी स्थान, फर्द खाना तलाशी रहवासीय मकान एवं फर्द खाना तलाशी कार्यालय कक्ष की मूर्तिब करने हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस, दस्तयाब सुदा आरोपी श्री उदाराम पटवारी, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता श्री बांकाराम कानि0 मय सरकारी बोलेरो वाहन एवं ब्यूरो जाब्ता जैसलमेर स्टाफ श्री दीनाराम हेड कानि0, श्री किसनाराम कानि0, श्री संग्रामसिंह कानि0, श्री शेराराम कानि0 चालक मय ब्यूरो चौकी जैसलमेर के सरकारी वाहन व पुलिस थाना शिव की महिला कानि0 श्रीमति लाली एवं श्री मालाराम कानि0 के रवाना हुआ। धोवन के प्रादर्श एवं मालखाना आईट्म श्री ठाकराराम कानि0 मालखाना प्रभारी को सुपूर्द कर सुरक्षित कब्जे में रखने की हिदायत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा बाड़मेर कम्प्यूटर एण्ड ई–सर्विसेस शिव पहुच परिवादी की निशादेही पर नक्शा मौका घटनास्थल/रिष्वती राशि बरामदगी स्थान मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर आरोपी श्री उदाराम पटवारी के ग्राम पंचायत बलाई में स्थित आवास की खाना तलाशी मूर्तिब करने हेतु रवाना हुआ एवं परिवादी श्री श्यामलाल को पुलिस थाना शिव में पहुचने हेतु निर्देशित किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं दस्तयाब सुदा आरोपी श्री उदाराम पटवारी के रहवासीय आवास फतेहनाड़ा, ग्राम पंचायत बलाई तहसील शिव जिला बाड़मेर पहुच रुबरु स्वतंत्र गवाहान फर्द खाना तलाशी मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली कर आरोपी श्री उदाराम पटवारी के पुरानी तहसील शिव स्थित कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी मूर्तिब करने हेतु उक्त स्थान से रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं दस्तयाब सुदा आरोपी श्री उदाराम पटवारी के उनके बताये अनुसार कस्बा शिव में स्थित पुरानी तहसील में स्थित कक्ष में पहुचा, आरोपी ने बताया कि उक्त पुरानी तहसील में उसका कार्यालय कक्ष स्थित है, जहॉ पर वह पटवार मण्ड़ल निम्बला से सम्बंधित दस्तोवजात रखता है एवं कार्य करता है की खाना तलाशी मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की जाकर उपरोक्तानुसार पुलिस थाना शिव के लिये रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा पुलिस थाना शिव पहुचा। ब्यूरो स्टाफ मय सुरक्षित मालखाना आईट्म व परिवादी श्री श्यामलाल के उपस्थित मिले।

तत्पश्चात दिनांक 18.09.2023 को समय 7.30 पी0एम0 पर प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से श्री उदाराम पुत्र श्री मगाराम उम्र 30 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव फतेहनाड़ा, ग्राम पंचायत बलाई तहसील षिव जिला बाड़मेर हाल पटवारी पटवार मण्ड़ल बालासर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्ड़ल निम्बला तहसील षिव जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 7023106141, 9649726141 के विरूद्व प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार मित्र श्री भारथाराम पुत्र श्री भंवराराम निवासी गांव दराजपुरा, ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव तहसील शिव जिला बाड़मेर, बाड़मेर कम्प्यूटर एवं ई–सर्विस शिव को आरोपी श्री उदाराम पटवारी के कहे अनुसार दी गई। ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री श्यामलाल की एवं श्री उदाराम पटवारी पटवार मण्ड़ल बालासर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्ड़ल निम्बला तहसील शिव जिला बाड़मेर के मध्य दिनांक 18.09.2023 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रेकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से उक्त वार्तालाप को 32जीबी के एक मेमोरी कार्ड में एवं दो सी0डी0 में श्री लालाराम कानि0 से लोड करवाया जाकर मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक सीडी अनुसंधान अधिकारी एवं एक मुलजिम सी.डी. को खुली रखी गई। आरोगी श्री उदाराम पटवारी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री श्यामलाल द्वारा की गई। परिवादी श्री श्यामाल को उसकी कार सहित पुलिस थाना शिव से ही रुखस्त किया जाकर ट्रेप कार्यवाही में मौके की समस्त कार्यवाही सम्पूर्ण होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाह, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री उदाराम पटवारी, आरोपी के दोनो हाथो एवं शर्ट के धोवन के प्रादर्श, डिजिटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, सिल चिट युक्त रिश्वती राशि 3,000रुपये, शर्ट का सिल चिट युक्त पैकेट, रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की 32जीबी का एक मेमोरी कार्ड में एवं दो सी0डी0 इत्यादि एवं ब्यूरो दल सदस्यो के सरकारी बोलेरो वाहन ब्यूरो चौकी बाड़मेर के लिए रवाना हुए। ब्यूरो चौकी जैसलमेर के जाब्ता को जैसलमेर चौकी पर उपस्थिति देने बाबत रुखस्त दी गई। ट्रेप कार्यवाही में शेष रही कार्यवाही ब्यूरो चौकी पहुच सम्पन्न करने का निर्णय लिया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाह, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री उदाराम पटवारी, ब्यूरो दल सदस्य के पुलिस थाना शिव से रवाना होकर रात्रि होने पर हाईवे पर स्थित होटल पर ट्रेप दल व आरोपी को भोजन करवाया जाकर उक्त स्थान से जरिये सरकारी वाहन रवाना होकर ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुच श्री ठाकराराम कानि0 को आरोपी के दोनो हाथो के धोवन के प्रादर्ष मार्क आरएच–01, आरएच–02, एलएच–01, एलएच–02, एवं शर्ट के धोवन के प्रादर्श एस–01 एवं एस–02, सिल चिट युक्त रिश्वती राशि 3,000रुपये, शर्ट का सिल चिट युक्त पैकेट, रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप को 32जीबी का एक मेमोरी कार्ड एवं दो सी0डी0 सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाया गया एवं गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री उदाराम पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षित जमा हवालात करवाने हेतु पुलिस थाना कोतवाली के लिए तेहरीर मूर्तिब कर ब्यूरो दल के मय सरकारी बोलेरो वाहन के रवाना किया गया, जो उपरोक्त फिकरा के आरोपी श्री उदाराम पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के पश्चात आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के हवालात में सुरक्षित जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ब्यूरो चौकी पर जरिये सरकारी वाहन मय चालक के उपस्थित आए। ट्रेप कार्यवाही में अब स्वतंत्र गवाहान श्री हरीश खिंची एवं श्री प्रेम रतन सुथार की आवश्यकता नहीं होने से दोनो स्वतंत्र गवाहान को रुखस्त प्रदान की गई। तत्पश्चात दिनांक 19.09.2023 को गिरफ्तार सुदा आरोपी को माननीय न्यायालय एसीबी कोर्ट जोधपुर के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक होने से रिमाण्ड फार्म तैयार किया गया एवं आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर उपस्थित ब्यूरो चौकी लाने हेतु श्री बांकाराम कानि0 एवं श्री लालाराम कानि0 मय सरकारी बोलेरो वाहन के रवाना किया गया, जो उपरोक्त फिकरा के श्री बाकाराम कानि0 एवं श्री लालाराम कानि0 गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री उदाराम पटवारी को पुलिस थाना कोतवाली से सुरक्षित प्राप्त कर ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित आए।

अतः आरोपी श्री उदाराम पुत्र श्री मगाराम उम्र 30 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव फतेहनाड़ा, पोस्ट बलाई तहसील शिव जिला बाड़मेर हाल पटवारी पटवार मण्ड़ल बालासर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्ड़ल निम्बला तहसील शिव जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 7023106141, 9649726141 के विरुद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(संग्रामसिंह भाटी)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री संग्रामसिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री उदाराम पुत्र श्री मगाराम हाल पटवारी, पटवार मण्डल बालासर, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल निम्बला, तहसील शिव, जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 252/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

19.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2809-12 दिनांक 19.09.2023
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, बाड़मेर, जयपुर राजस्थान।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

19.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।